भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2295
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण पार्क

2295. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत चार चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है और प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन में धनराशि के कम उपयोग करने और विलंब पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत सामान्य परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं का समय पर विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त योजना का विस्तार उन अन्य राज्यों में करने पर विचार कर रही है जहां चिकित्सा उपकरण उद्योग चल रहे हैं और यदि हां, तो चयन के मानदंड क्या हैं और इसके विचार हेतु समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना का उद्देश्य संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और लागत में कमी के लिए साझी अवसंरचना और परीक्षण सुविधाओं का विनिर्माण करना है, जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता हो सके। इस योजना के तहत, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार बाद में यह कहते हुए इस योजना से वापस हो गई कि वह अपने स्रोतों से इस परियोजना को वित्तपोषित करेगी। इन पार्कों की कुल परियोजना लागत 871.11 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। उक्त तीन पार्कों में इस योजना के तहत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित सीआईएफ लागत	अभी तक जारी केन्द्रीय अनुदान	राज्य सरकार का योगदान	राज्य के हिस्से सहित जून, 2024 तक उपयोग की गई निधियां
उत्तर प्रदेश	435.94	186.63	60	32.01	83.11
मध्य प्रदेश	222.77	155.63	60	28.00	81.96
तमिलनाडु	212.40	153.33	60	48.17	57.06

इस समय, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और कांचीपुरम (तमिलनाडु) जिलों में पार्क विकास के उन्नत चरण में हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन में देरी को ध्यान में रखते हुए, साझी परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं का समय पर विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, औषध विभाग प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और राज्यों के साथ आयोजित बैठकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा पार्कों के दौरे किए जाने के माध्यम से नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर रहा है।

(ङ): इस समय सरकार के पास ऐसा कोई विस्तार विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2295 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार विवरण

साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) के विनिर्माण हेतु निविदाएँ: सभी स्वीकृत राज्यों ने सीआईएफ भवनों के सिविल विनिर्माण कार्य हेतु प्रमुख निविदाएँ प्रदान कर दी हैं और सीआईएफ भवनों का विनिर्माण कार्य प्रगति पर है। इनका विवरण निम्नानुसार हैं:

राज्य	सीआईएफ इकाइयों की संख्या	प्रदान की गई विनिर्माण निविदा की संख्या	जारी की गई विनिर्माण निविदा	तैयार की जा रही विनिर्माण निविदा
तमिलनाडु	12	11	1	0
उत्तर प्रदेश	16	14	0	2
मध्य प्रदेश	9	9	0	0

सीआईएफ सुविधाओं के लिए उपकरणों की खरीद हेतु निविदाएँ: सीआईएफ भवनों में लगाए जाने वाले उपकरण खरीद के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विवरण निम्नानुसार हैं:

राज्य	सीआईएफ इकाइयों की संख्या	प्रदान की गई उपकरण निविदा की संख्या	जारी की गई उपकरण निविदा	तैयार की जा रही उपकरण निविदा
तमिलनाडु	12	1	1	10
उत्तर प्रदेश	13	0	0	13
मध्य प्रदेश	8	5	0	3

*****